

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी देवली जिला टोंक राज0

आसीन अधिकारी श्री मनोज कुमार मीना R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)
मिसल संख्या :- 193/2023 निर्णय दिनांक :- 04.07.2025

उनवानी दावा:

रामप्रसाद पुत्र भुवाना जाति कुमावत आयु बालिग निवाती ग्राम भगवानपुरा तहसील
देवली जिला टोंक
—वादी—

बनाम

1. चन्द्री पत्नी तुलसीराम जाति कुमावत निवासी चांदथली तहसील सावर हाल निवासी ग्राम सिलोरा, तहसील—किशनगढ, अजमेर
2. मीरा देवी पत्नी रामराज जाति कुमावत निवासी ग्राम भगवानपुरा तहसील देवली जिला टोंक
3. रामनिवास पुत्र मिश्रीलाल जाति कुमावत निवासी भागवानपुरा तहसील देवली जिला टोंक राज
4. सत्यनारायण पुत्र तुलसीराम जाति कुमावत निवासी निवासी चांदथली तहसील सावर हाल निवासी ग्राम सिलोरा, तहसील—किशनगढ, अजमेर
5. संतरा पुत्री रंगलाल जाति कुमावत निवासी ग्राम सग्रामपुरा, बीजवाड रोड, तहसील देवली जिला टोंक राज.
6. तहसीलदार जी देवली राज.
7. शाखा प्रबंधक, बैंक ऑफ बड़ोदा, शाखा देवली

—प्रतिवादीगण—

उपस्थिति :-

श्री अशोक कुमार गुप्ता
अधिवक्ता वादीया

एकपक्षीय कार्यवाही विरुद्ध
प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7

दावा बाबत बंटवारा आराजियात, स्थायी निषेधाज्ञा

पत्रावली वास्ते निर्णय/आदेश पेश हुई। निर्णय/आदेश इस प्रकार है कि प्रकरण में न्यायालय हाजा द्वारा प्राथमिक निर्णय व डिक्री आदेश दिनांक 24.12.2024 को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली में बाद बहस पारित किया गया था। पारित आदेश की पालना में तहसीलदार देवली से कुर्रेजात रिपोर्ट क्रमांक:- भू. अ. 2295 दिनांक 11.06.2025 से प्राप्त हुई।

कुर्रेजात रिपोर्ट को अधिवक्ता वादी से अवलोकन करवाया गया।

अधिवक्ता वादी ने अपनी बहस में कुर्रेजात रिपोर्ट को सही बताया और अन्तिम डिक्री जारी करने की प्रार्थना की।

कुर्रेजात रिपोर्ट व पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार देवली द्वारा प्रेषित उक्त कुर्रेजात रिपोर्ट का अवलोकन किया जो तहसीलदार देवली द्वारा विभाजन प्रस्ताव राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम-1955 के नियम 18 से 21 के अनुसार तैयार किये गये हैं।

अतः जमाबंदी सम्वत् 2072-75 खाता संख्या 425 ख. नं. 512 रकबा 0.81 है0, ख. नं. 513 रकबा 0.59 है0, ख. नं. 514 रकबा 0.51 है0 किता 3 कुल रकबा 1.91 है0 वाके ग्राम मालेडा तहसील देवली जिला टोंक के विभाजन हेतु, तहसीलदार

4.7.2025

ली द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव अनुसार दावा स्वीकार किया जाना उचित होने से
मिम डिक्री पर्चा जारी किया जावे।

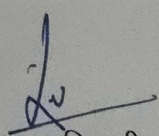
अतः तहसीलदार देवली की कुर्रैजात रिपोर्ट अनुसार पक्षकारान का हिस्सा
निम्नानुसार रहेगा :-

खाता संख्या 425 वाके ग्राम मालेड़ा पटवार हल्का मालेड़ा देवली भू. अभि. नि.
क्षेत्र मालेड़ा तहसील देवली :-

क्र. सं.	नाम खातेदार	ख. नं.	रकबा हैक्टेयर में	लगान
1.	रामप्रसाद पुत्र भुवाना जाति कुमावत सा. भगवानपुरा मालेड़ा राहिन बी.ओ.बी खातेदार नक्शा ट्रेस में लाल बॉल पेन से दर्शित	514	0.51	4.08
		513	0.13	1.04
	योग	किता-2	0.64	5.12
2.	सत्यनारायण पुत्र चन्द्रीदेवी पत्नी तुनसीराम हि. 1/2 मीरा देवी पत्नी रामराज हि. 1/6 रामनिवास पुत्र मिश्रीलाल हि. 1/6 सा. भगवानपुरा सन्तरा पुत्री रंगलाल हि. 1/6 सा. चांदथली जाति कुमावत खातेदार नक्शा ट्रेस में सफेद (रिक्त) रंग से दर्शित	513	0.46	3.68
		512	0.81	6.48
	योग	किता-2	1.27	10.16

उक्त सूची अनुसार पक्षकारान को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
प्रतिवादीगण स्वयं, जरिये ऐजेन्ट, नोकर चाकर के वाद पत्र के उक्त हिस्से अनुसार
आराजियात मे वादी के हिस्से में वादी को फसल बोने, काटने, उपयोग-उपभोग में
किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करे व मजामहत नही करे और पालना तक पाबन्द
रहे। तहसीलदार देवली द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव व नक्शा ट्रेस निर्णय के साथ
संलग्न रहेगी। तदनुसार अन्तिम डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 04.07.2025 को सुनाया गया।


उपखण्ड अधिकारी
देवली

डिक्री: मुकदमा इब्दाई

20 रूल्स 6व 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी.....

मुकाम देवली व अलजाम श्री मनोज कुमार मीणा उपखण्ड अधिकारी देवली आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी देवली टोक.....

उनवानी दावा:

रामप्रसाद पुत्र भुवाना जाति कुमावत आयु बालिग निवाती ग्राम भगवानपुरा तहसील देवली जिला टोक

—वादी—

बनाम

1. चन्द्री पत्नी तुलसीराम जाति कुमावत निवासी चांदथली तहसील सावर हाल निवासी ग्राम सिलोरा, तहसील—किशनगढ, अजमेर
2. मीरा देवी पत्नी रामराज जाति कुमावत निवासी ग्राम भगवानपुरा तहसील देवली जिला टोक
3. रामनिवास पुत्र मिश्रीलाल जाति कुमावत निवासी भागवानपुरा तहसील देवली जिला टोक राज
4. सत्यनारायण पुत्र तुलसीराम जाति कुमावत निवासी निवासी चांदथली तहसील सावर हाल निवासी ग्राम सिलोरा, तहसील—किशनगढ, अजमेर
5. संतरा पुत्री रंगलाल जाति कुमावत निवासी ग्राम संग्रामपुरा, बीजवाड रोड, तहसील देवली जिला टोक राज.
6. तहसीलदार जी देवली राज.
7. शाखा प्रबंधक, बैंक ऑफ बड़ोदा, शाखा देवली

—प्रतिवादीगण—

दावा बाबत बंटवारा आराजियात, स्थायी निषेधाज्ञा

मुकदमा नं. 193 सन् 2023

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू. मुझा श्री मनोज कुमार मीणा आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी देवली बहाजरी श्री अशोक कुमार गुप्ता अधिवक्ता वादी मिनजामिन मुद्दई रूबरू एकपक्षीय कार्यवाही विरुद्ध प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 मिनजामिन मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व अंतिम डिक्री दी जाती है कि

आदेश

जमाबंदी सम्वत् 2072-75 खाता संख्या 425 ख. नं. 512 रकबा 0.81 है०, ख. नं. 513 रकबा 0.59 है०, ख. नं. 514 रकबा 0.51 है० किता 3 कुल रकबा 1. 91 है० वाके ग्राम मालेडा तहसील देवली जिला टोक के विभाजन हेतु, तहसीलदार देवली द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव अनुसार दावा स्वीकार किया जाना उचित होने से अंतिम डिक्री पर्चा जारी किया जावे।

अतः तहसीलदार देवली की कुरैजात रिपोर्ट अनुसार पक्षकारान का हिस्सा निम्नानुसार रहेगा :-

खाता संख्या 425 वाके ग्राम मालेडा पटवार हल्का मालेडा देवली भू. अभि. नि. क्षेत्र मालेडा तहसील देवली :-

क. सं.	नाम खातेदार	ख. नं.	रकबा हैक्टेयर में	लगान
--------	-------------	--------	-------------------	------

4.7.2025

रामप्रसाद पुत्र भुवाना जाति कुमावत सा. भगवानपुरा मालेड़ा राहिन बी.ओ.बी खातेदार नक्शा ट्रेस में लाल बॉल पेन से दर्शित	514	0.51	4.08
	513	0.13	1.04
योग	किता-2	0.64	5.12
2. सत्यनारायण पुत्र चन्द्रीदेवी पत्नी तुनसीराम हि. 1/2 मीरा देवी पत्नी रामराज हि. 1/6 रामनिवास पुत्र मिश्रीलाल हि. 1/6 सा. भगवानपुरा सन्तरा पुत्री रंगलाल हि. 1/6 सा. चांदथली जाति कुमावत खातेदार नक्शा ट्रेस में सफेद (रिक्त) रंग से दर्शित	513	0.46	3.68
	512	0.81	6.48
योग	किता-2	1.27	10.16

उक्त सूची अनुसार पक्षकारान को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
प्रतिवादीगण स्वयं, जरिये ऐजेन्ट, नोकर चाकर के बाद पत्र के उक्त हिस्से अनुसार
आराजियात मे वादी के हिस्से में वादी को फसल बोने, काटने, उपयोग-उपभोग में
किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करे व मजामहत नही करे और पालना तक पाबन्द
रहे। तहसीलदार देवली द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव व नक्शा ट्रेस निर्णय के साथ
संलग्न रहेगी। तदनुसार अन्तिम डिक्री पर्चा जारी हो।

निजी.....मुवलिक.....बाबत.....
.....खर्चा इस मुकदमें का मय सूद वगैरह फीसदी सालना आज
की तारीख वसूलियाकि तक की अदा करें।
बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज तारीख 04 माह 07 सन् 2025
को जारी किया गया।

दस्तख्त
ओहदा
उपखण्ड अधिकारी
देवली

मुहर

मुददई	रु.	पै.	मुददायलह	रु.	पै.
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प अदालत नामा			स्टाम्प अदालत		
स्टाम्प वजह सबूत			मेहनतान वकील		
मेहनतान वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिशनर		
फीस कमिशनर			बाबत इजरायहुक्ननामा		
बाबत इजरायहुक्ननामा			अन्य मिजान		
अन्य					
मिजान					

नोट :- इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा पर दी फरीकेन का चाहे डिक्री के जरिये दिलाया हो या नही दर्ज करना चाहिए।